राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग

दिनांक 9 अक्तूबर, 2007

संख्या 1576-ः ०आर०-6-2007/15907.—आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ा हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण स्थापित कर ा हैं, अर्थात् :—

1. मुख मंत्री, हरियाणा	पदेन सभापति
2. वित्त मंत्री, हरियाणा	सदस्य
3. स्वा य मंत्री, हरियाणा	सदस्य
4. ग्रार्म ग विकास तथा पंचायत मंत्री, हरियाणा	सदस्य
5. राज मंत्री राजस्व, हरियाणा	सदस्य
6. मुख सचिव, हरियाणा	सदस्य तथा पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी
7. वित्त युक्त, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा	सदस्य
8. गृह ाचिव, हरियाणा	सदस्य
9. राष्ट्र य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का प्रतिनिधि	सदस्य

2. हरियाणा र ्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा।

3. हरियाणा र ्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ऐसे समय तथा स्थान पर जो अपेक्षित हो तथा प्राधिकरण का अध्यक्ष उचित समझे वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगा।

4. हरियाणा र ्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के उद्देश्य, शक्तियां तथा कृत्य निम्न अनुसार होंगे :—

(1) इस ाधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां तथा योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उप ाण्ड (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य प्राधिकरण,—

(क) राज्य आपदा प्रबन्धन नीतियां अधिकथित करना;

(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शन के अनुसार राज्य योजना का अनुमोदन करना;

(ग) हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजनाओं का अनुमोदन करना;

(घ) हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदाओं की रोकथाम तथा न्यूनीकरण के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शन अधिकथित करना तथा उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना;

(ङ) राज्य आपदा प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन को समन्वित करना;

(च) आपदा प्रबन्धन के लिए उपायों को तत्परता से करने तथा न्यूनीकरण के लिए निधियों के उपबन्ध की सिफारिश करना;

(छ) आपदा की रोकथाम तथा न्यूनीकरण के लिए उसमें आवश्यक उपबन्ध करने के दृष्टिगत जिला स्तर, कानूनी प्राधिकरणों या स्थानीय प्राधिकरणों में सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं का पुनर्विलोकन करना;

(ज) हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा न्यूनीकरण, निर्माण क्षमता तथा तत्परता के लिए उठाए जा रहे उपायों का पुनर्विलोकन करना तथा ऐसे मार्गदर्शन जारी करना जो आवश्यक हों।

(3) आपातकालीन की दशा में, हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का सभापति प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा घटनोत्तर अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा।

धर्मवीर,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

The 9th October, 2007

No. 1576-ER-6-2007/15907.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 14 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Governor of Haryana hereby establishes the Haryana State Disaster Management Authority consisting of the following members, namely :—

1. Chief Minister, Haryana	Chairperson, Ex-officio
2. Finance Minister, Haryana	Member
3. Health Minister, Haryana	Member
4. Rural Development and Panchayats Minister, Haryana	Member
5. Minister of State for Revenue, Haryana	Member
6. Chief Secretary, Haryana	Member and Chief Executive Officer, Ex-officio
7. Financial Commissioner, Revenue and Disaster Management, Haryana	Member
8. Home Secretary, Haryana	Member
9. Representative of National Disaster Management Authority	Member

2. The Headquarter of the Haryana State Disaster Management Authority will be at Chandigarh.

3. The Haryana State Disaster Management Authority shall meet at least once in a year and as and when required at such time and place as the Chairman of the Authority may think fit.

4. The objectives, powers and functions of the Haryana State Disaster Management Authority shall be as under :—

(1) Subject to the provisions of this Act, a State Authority shall have the responsibility for laying down policies and plans for disaster management in the State.

(2) Without prejudice to the generality of provisions contained in sub-clause (1), the State Authority may—

(a) Lay down the State Disaster Management Policy;

(b) approve the State Plan in accordance with the guidelines laid down by the National Disaster Management Authority;

(c) approve the Disaster Management Plans prepared by the Departments of the Government of Haryana;

(d) lay down guidelines to be followed by the Departments of the Government of Haryana for the purposes of integration of measures for prevention and mitigation of disasters in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefor;

(e) coordinate the implementation of the State Disaster Management Plan;

(f) recommend provision of funds for preparedness and mitigation measures for Disaster Management;

(g) review the development plans prepared by the Departments of the Government at the district level statutory authorities or local authorities with a view to make necessary provisions therein for prevention of disaster or mitigation;

(h) review the measures being taken for mitigation, capacity building and preparedness by the departments of the Government of Haryana and issue such guidelines as may be necessary.

(3) The Chairperson of the Haryana State Disaster Management Authority shall, in the case of emergency, have power to exercise all or any of the powers of the Authority but the exercise of such power shall be subject to *ex-post-facto* ratification by the Haryana State Disaster Management Authority.

DHARAM VIR,
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government
Haryana, Revenue and Disaster Management Department.

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

दिनांक 9 अक्तूबर, 2007

संख्या 1576-ई०आर०-6-2 07/15911.—आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा के सभी जिलों में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण स्थापित करते हैं, अर्थात् :—

1. जिले का उपायुक्त	पदेन सभापति
2. जिला परिषद् का अध्यक्ष	सह सभापति
3. अतिरिक्त उपायुक्त	पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4. पुलिस जिला अधीक्षक (जिला गुड़गांव के लिये पुलिस जिला अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय)	पदेन सदस्य
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	पदेन सदस्य
6. सम्बद्ध अधीक्षक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)	सदस्य

7. जिला राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन अधिकारी सदस्य

2. प्रत्येक जिला आपदा प्राधिकरण का मुख्यालय, जिला के मुख्यालय में होगा।

3. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार जब भी अपेक्षित हो ऐसे समय तथा स्थान पर होगी जो प्राधिकरण का अध्यक्ष ठीक समझे।

4. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के उद्देश्य, शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना समन्वय तथा कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शन के अनुसरण में जिले में आपदा प्रबन्धन के प्रयोजनों के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) उप धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिला प्राधिकरण,—

(i) जिले के लिए जिला रिस्पोन्स योजना सहित आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करेगा;

(ii) राष्ट्रीय नीति, हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन नीति, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना, हरियाणा आपदा प्रबन्धन योजना और जिला आपदा प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन को समन्वित तथा मानीटर करना;

(iii) सुनिश्चित करना कि जिले में आपदा के नाजुक क्षेत्रों की पहचान तथा आपदा की रोकथाम तथा इसके प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा जिला स्तर पर तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपाय प्रारम्भ किये हैं;

(iv) सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय प्राधिकरण और हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित आपदा की रोकथाम, इसके प्रभाव के न्यूनीकरण, तैयारी तथा रिस्पोन्स उपाय के लिए मार्गदर्शनों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों तथा जिला के स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पालन किया जा रहा है;

(v) जिला स्तर पर विभिन्न विभागों और स्थानीय प्राधिकरणों को यथाआवश्यक आपदा की रोकथाम या न्यूनीकरण के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश देना;

(vi) जिला स्तर पर हरियाणा सरकार के विभागों तथा जिले में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजनाओं की रोकथाम के लिए मार्गदर्शन अधिकथित करना;

(vii) हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा, जिला स्तर पर तैयार आपदा प्रबन्धन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर करना;

(viii) जिला स्तर पर हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम तथा न्यूनीकरण के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शन अधिकथित करना तथा उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना;

(ix) मद संख्या (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर करना;

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका के समय उसके मुकाबले हेतु राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन करना तथा जिला स्तर पर सम्बन्धित विभागों तथा प्राधिकरणों को यथाआवश्यक उनको उन्नत करने हेतु निर्देश देना;

(xi) जिला स्तर पर सम्बद्ध विभागों या अन्य सम्बद्ध प्राधिकरणों के तत्परता उपायों का पुनर्विलोकन करना तथा निर्देश देना जहां आपदा या आपदा की स्थिति की आशंका में प्रभावशाली मुकाबले के लिए अपेक्षित स्तरों के तत्परता उपायों को पहुंचाने के लिए आवश्यक हों ;

(xii) आपदा प्रबन्धन हरियाणा के लिए राज्य केन्द्र द्वारा जिले के विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा समन्वित करना ;

(xiii) स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से आपदा की रोकथाम या न्यूनीकरण के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण तथा जानकारी कार्यक्रमों को सुकर बनाना ;

(xiv) लोगों को पूर्व चेतावनी तथा उचित सूचना के प्रसार के लिए क्रियाविधि की स्थापना, रख रखाव, पुनर्विलोकन और उन्नत करना;

(xv) जिला स्तरीय रिस्पोन्स योजना तथा मार्गदर्शन तैयार करना, पुनर्विलोकन करना और उसे अद्यतन करना;

(xvi) किसी आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा के उत्तर को समन्वित करना;

(xvii) सुनिश्चित करना कि जिला स्तर पर सरकार के विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जिला रिस्पोन्स योजना के अनुरूप उनकी रिस्पोन्स योजनाएं तैयार करवाना;

(xviii) किसी आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा के लिए प्रभावशाली रूप के उत्तर में उपाय करने के लिए जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिला स्तर पर सरकार के सम्बद्ध विभागों या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के लिए मार्गदर्शन अधिकथित करना या उनको निर्देश देना;

(xix) आपदा प्रबन्धन में लगे जिला स्तर पर सरकार के विभागों, कानूनी निकायों तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को परामर्श देना, सहायता करना और उनकी गतिविधियों को समन्वित करना;

(xx) आपदा से पूर्व तथा आपदा के बाद जिले में प्रबन्धन गतिविधियों को तत्कालिक रूप से तथा प्रभावशाली रूप से चलाना, सुनिश्चित करने के लिए जिले में स्थानीय प्राधिकरणों से तालमेल करना तथा उनको मार्गदर्शन देना;

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकरणों को उनके कृत्यों के संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता की व्यवस्था करना या सलाह देना;

(xxii) आपदा की रोकथाम या न्यूनीकरण के लिए उसमें आवश्यक उपबन्ध करने की दृष्टि से जिला स्तर पर सरकार के विभागों, कानूनी प्राधिकरणों या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं का पुनर्विलोकन करना;

(xxiii) जिले में किसी क्षेत्र में निर्माण का निरीक्षण करना और, यदि यह राय हो कि ऐसे निर्माण के लिए अधिकथित आपदा की रोकथाम तथा न्यूनीकरण के लिए मानदण्डों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है, तो सम्बद्ध प्राधिकरण को ऐसा कार्य करने के लिए निर्देश देना जो ऐसे मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो;

(xxiv) ऐसे भवनों तथा स्थानों की पहचान करना, जो आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा की घटना में सहायता केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किये जा सकें तथा ऐसे भवनों या स्थानों में पानी की आपूर्ति तथा स्वच्छता का प्रबन्ध करना;

(xxv) राहत और बचाव सामग्री के संचयन की व्यवस्था करना या ऐसी सामग्री अल्प अवधि में उपलब्ध करने के लिए तत्परता सुनिश्चित करना;

(xxvi) हरियाणा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं के बारे सूचना उपलब्ध करवाना;

(xxvii) आपदा प्रबन्धन के लिए जिला में निम्न स्तर पर गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक-कल्याण संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना;

(xxviii) यह सुनिश्चित करेगा कि संचार प्रणाली उचित अवस्था में है, और आपदा प्रबन्धन की कवायद समय-समय पर चलाई जाती है;

(xxix) ऐसे अन्य कृत्य करना जो हरियाणा सरकार या हरियाणा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण इसे सौंपे या जो यह जिला में आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक समझे।

5. जिला प्राधिकरण का सभापति, जिला प्राधिकरण की बैठकों का सभापतित्व करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो जिला प्राधिकरण उसको प्रत्यायोजित करे।

6. जिला प्राधिकरण का सभापति आपातकाल की दशा में जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के घटनोत्तर अनुमोदन के अधीन होगा।

7. जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण का सभापति सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा अपनी या उसकी ऐसा शक्तियों और कृत्यों को उपरोक्त खण्ड 5 या 6 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं के अध्यधीन, यदि कोई हों, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।

8. जिला प्राधिकरण जब वह आवश्यक समझे एक या अधिक सलाहकार समितियां तथा अन्य समितियां इसके कृत्यों के कुशल निर्वहन हेतु गठित कर सकता है।

9. जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपरोक्त खण्ड 8 के अधीन निर्दिष्ट समिति का सभापति नियुक्त करेगा।

10. उपरोक्त खण्ड 8 के अधीन गठित की गई किसी समिति या उप-समिति से विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्ता किसी व्यक्ति को ऐसे भत्ते दे सकता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

धर्मवीर,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

REVENUE AND DISASTERMANAGEMENT DEPARTMENT

The 9th October, 2007

No. 1576-ER-6-2007/15911.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Governor of Haryana is hereby establishes District Disaster Management Authorities in all the Districts of Haryana consisting of the following members, namely :—

1. Deputy Commissioner of the District	Chairperson ex-officio
2. Chairman of Zila Parishad	Co-Chairperson
3. Additional Deputy Commissioner	Chief Executive Officer ex-officio
4. District Superintendent of Police (for Gurgaon District) Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police (Headquarter)	Member ex-officio
5. Chief Medical Officer	Member ex-officio
6. The Superintending Engineer PWD (B&R) concerned	Member
7. District Revenue and Disaster Management Officer	Member

2. The Headquarters of each District Disaster Management Authority will be at the headquarters of the District.

3. The District Disaster Management Authority shall meet at least once in a year, as and when required at such time and place as the Chairman of the Authority may think fit.

4. The objectives, powers and functions of the District Disaster Management Authority shall be as follows :—

(1) The District Authority shall act as the district planning coordinating and implementing body for disaster management and take all measures for the purposes of disaster management in the district in accordance with the guidelines laid down by the National Disaster Management Authority and the Haryana State Disaster Management Authority .

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-clause (1), the District Authority may—

( ) prepare a disaster management plan including district response plan for the district.

( ) coordinate and monitor the implementation of the National Policy, Haryana State Disaster Management Policy, National Disaster Management Plan, Haryana Disaster Management Plan and District Disaster Management Plan;

(i) ensure that the areas in the district vulnerable to disasters are identified and measures for the prevention of disasters and the mitigation of its effects are undertaken by the departments of the Haryana Government at the district level as well as by the local authorities;

(i) ensure that the guidelines for prevention of disasters, mitigation of its effects, preparedness and response measures as laid down by the National Authority and the Haryana State Disaster Management Authority are followed by all departments of the Government at the district level and the local authorities in the district.

( ) give directions to different departments at the district level and local authorities to take such other measures for the prevention or mitigation of disasters as may be necessary;

(v) lay down guidelines for prevention of disaster management plans by the department of the Haryana Government at the districts level and local authorities in the district;

(v) monitor the implementation of disaster management plans prepared by the Departments of the Haryana Government at the district level;

(vi) lay down guidelines to be followed by the Departments of the Haryana Government at the district level for purposes of integration of measures for prevention of disasters and mitigation in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefor;

(i) monitor the implementation of measures referred to in item No. (viii);

( ) review the State of capabilities for responding to any disaster or threatening disaster situation in the district and give directions to the relevant departments or authorities at the district level for their up-gradation as may be necessary;

(x) review the preparedness measures and give directions to the concerned departments at the district level or other concerned authorities where necessary for bringing the preparedness measures to the levels required for responding effectively to any disaster threatending disaster situation;

(x) organize and coordinate specialized training programmes for different levels of officers, employees and voluntary rescue workers in the district by State Centre for Disaster Management Haryana;

(xi) facilitate community training and awareness programmes for prevention of disaster or

mitigation with the support of local authorities, governmental and non-governmental organizations;

(xiv) set up, maintain, review and upgrade the mechanism for early warnings and dissemination of proper information to public;

(xv) prepare, review and update district level response plan and guidelines;

(xvi) coordinate response to any threatening disaster situation or disaster;

(xvii) ensure that the Departments of the Government at the district level and the local authorities prepare their response plans in accordance with the district response plan;

(xviii) lay down guidelines for, or give direction to the concerned Department of the Government at the district level or any other authorities within the local limits of the district to take measures to respond effectively to any threatend situation or disaster;

(xix) advise, assist and coordinate the activities of the Departments of the Government at the district level, statutory bodies and other governmental and non-governmental organizations in the district engaged in the disaster management;

(xx) coordinate with, and give guidelines to, local authorities in the district to ensure that pre-disaster and post-disaster management activities in the district are carried out promptly and effectively;

(xxi) provide necessary technical assistance or give advise to the local authorities in the district for carrying out their functions;

(xxii) review development plans prepared by the Departments of the Government at the district level, statutory authorities or local authorities with a view to make necessary provisions therein for prevention of disaster or mitigation;

(xxiii) examine the construction in any area in the district and, if it is of the opinion that the standards for the prevention of disaster or mitigation laid down for such construction is not being or has not been followed, may direct the concerned authority to take such action as may be necessary to secure compliance of such standards;

(xxiv) identify buildings and places which could, in the event of any threatening disaster situation or disaster, be used as relief centres or camps and make arrangements for water supply and sanitation is such buildings or places;

(xxv) establish stockpiles of relief and rescue materials or ensure preparedness to make such materials available at a short notice;

(xxvi) provide information to the Haryana Disaster Management Authority relating to different aspects of disaster management;

(xxvii) encourage the involvement of non-governmental organizations and voluntary social-welfare institutions working at the grassroots level in the district for disaster management;

(xxviii) ensure communication systems are in order, and disaster management drills are carried out periodically;

(xxix) perform such other functions as the Haryana Government or the Haryana Disaster Management Authority may assign to it or as it deems necessary for disaster management in the District.

5. The Chairperson of the District Authority shall, in addition to presiding over the meetings of the District Authority , exercise and discharge such powers and functions of the District Authority as the District Authority may delegate to him/her.

6. The Chairperson of the District Authority shall in the case of an emergency have power to exercise all or any of the powers of the District Authority but the exercise of such powers shall be subject to *ex-post-facto* ratification of the District Authority .

7. The District Authority or the Chairperson of the District Authority may, by general or special order, in writing, delegate such of its or his powers and functions, under clause 5 or 6 above, as the case may be, to the Chief Executive Officer of the District Authority , subject to such conditions and limitations, if any, as it or he deems fit.

8. The District Authority may, as and when it considers necessary, constitute one or more advisory committees and other committees for the efficient discharge of its functions.

9. The District Authority shall, from amongst its members, appoint the Chairperson of the Committee referred to under clause 8 above.

10. Any person associated as an expert with any committee or sub-committee constituted under clause 8 above, may be paid such allowances as may be prescribed by the State Government.

DHARAM VIR,
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government
Haryana, Revenue and Disaster Management Department.

43135—C.S.—H.G.P., Chd.